न्यायालय अपर कलक्टर,नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व रेफरेन्स सं0 – 20/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खींवसर		1 सोहनराम पुत्र घेवरराम नाई निवासी लालावास,खींवसर। 2 शारदा पत्नि सोहनराम नाई निवासी लालावास, खींवसर। 3 लादूराम पुत्र मूलाराम जाट निवासी लालावास, खींवसर।

उपस्थिति–

1– श्री कुन्दन सिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।

2– श्री बाबूलाल भादू अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।

आदेश

दिनांक 01-12-2017

(1) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा लालावास की मिसल बन्दोबस्त संवत 2020 के खाता सं. 125 व 126 के अनुसार ग्राम लालावास के खसरा नं. 225 रकबा 842.08 बीघा गै.मु. मगरा दर्ज रही है। जो जमाबंदी संवत 2058–61 में रकबा 386.14 बीघा गै.मु. मगरा भूमि रही है। ग्राम लालावास में प्रशासन गांवों के संग अभियान 2002 में आदेश क्रमांक 30 दिनांक 13.6.02 को गैर खातेदारी आधार पर आंवटन अप्रार्थीगण को किया गया। जिसका नामान्तरकरण सं. 505 खसरा नं. 225/925 रकबा 3 बीघा दर्ज किया गया है। तत्पश्चात तहसीलदार के आदेश क्रमांक 872 दिनांक 18.12.10 के क्रम मे नामान्तरकरण सं. 753 के गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज की गई है। उक्त आवंटन काजरी मेन्युअल की पालना के अभाव में आवंटन/नियमन आदेश प्रभाव शून्य होने से निरस्तनीय है। अतः आवंटन व खातेदारी निरस्त कर भूमि वापस राजकीय दर्ज किये जाने हेतु यह रेफरेन्स राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की तरफ से श्री बाबूलाल भादू ने वकालतनामा पेश किया तथा जवाब दिनांक 19.07.17 को प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी तहसीलदार ने अपने रेफरेन्स प्रकरण के साथ खतौनी मिसल बन्दोबस्त संवत 2020 की फोटोप्रति, जमाबंदी संवत 2058–61 की फोटोप्रति, प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प का आवंटन आदेश दिनांक 13.6.02 की प्रति, आवंटन आदेश प्रारूप 5 "ख" नियम 20 की प्रति, नामान्तरकरण सं. 505, 753 व 862 की फोटोप्रति, जमाबंदी, गिरदावरी संवत 2070–73 की प्रति व नक्शा ट्रेस की प्रति पेश की गई है.। जबकि अप्रार्थीगण की ओर से राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र दिनांक 27.8.01, दिनांक 28.5.02, 31.7.02, 23.5.02 की फोटोप्रतियां पेश की गई।

(3) उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने रेफरेन्स प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दलील दी कि –

(3)(1) मिसल बन्दोबस्त संवत् 2020 के खाता सं. 125 व 126 के अनुसार आराजी भूमि ग्राम लालावास के खसरा नं. 225 रकबा 842.08 बीघा गै.मु. मगरा दर्ज रही है। जो सवत 2058–61 में रकबा 386.14 बीघा रहा है। प्रशासन गांवों के संग अभियान 2002 में केम्प लालावास में दिनांक 13.6.02 को उक्त आराजी में से खसरा नं. 225/925 रकबा 3 बीघा अप्रार्थीगण को आंवटन /नियमन किये जाने से नामान्तरकरण सं. 505 गैर खातेदारी व नामान्तरकरण सं. 753 गैर खातेदारी से खातेदार अंकित किया गया है।

(3)(2) राजकीय वकील द्वारा यह भी बताया गया कि राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र

अपर कलक्टर, नागौर

क्रमांक प.6(6) राज–6 / 97 / 7 दिनांक 27.8.01 के द्वारा राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय रूक्ष क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी) जोधपुर के मृदा संरक्षण मेन्युअल (Soil Survey Manual) के अनुसार भूमि की 8 श्रेणियां मृदा वर्गीकरण किया गया है। जिनमें से श्रेणी सं. 1 से 4 तक की भूमियों का आवंटन एवं नियमन किये जाने के लिये जिला कलक्टर की देखरेख में चिन्हीकरण के पश्चात जिला स्तरीय आवंटन अनुमोदन समिति के अनुमोदन पश्चात ही आंवटन किये जाने के प्रावधान रहे है। तत्समय काजरी द्वारा भूमियों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया पूर्ण नही होने की स्थिति में राजस्व (ग्रुप–6) द्वारा दिनांक 28.5.02 को एक परिपत्र जारी कर निर्देश प्रदान किये गये कि जहां पर प्रतिबंधित 5 से 8 श्रेणी की भूमि उपलब्ध है या ऐसे गांव जहां श्रेणियों की पहचान खसरा नं. के अनुसार संभव नही है तथा कई स्थानों पर काजरी ने श्रेणियां निर्धारित नही की है। ऐसे क्षेत्रों में आवंटन योग्य भूमि चिन्हित करने के लिये तहसील स्तरीय भू चिन्हित समिति का गठन किया गया था तथा समिति की रिपोर्ट का जिला स्तरीय आवंटन अनुमोदन समिति में प्रस्तावों पर विचार के पश्चात राज्य सरकार के अनुमोदन उपरांत ही प्रशासन गांवों के संग अभियान 2002 के तहत आवंटन नियमन की कार्यवाही की जा सकती थी। मगर उक्त आवंटन नियमन से पूर्व न तो तहसील स्तरीय समिति द्वारा भूमि का चिन्हिकरण किया गया है तथा न ही सक्षम स्तर से अनुमोदन करवाया गया है। इस प्रकार उक्त आवंटन / नियमन विधि विरूद्व है।

(3)(3) उक्त परिपत्र दिनांक 27.8.01 के तहत मगरा किस्म की भूमियों को नियमतिकरण नही किये जाने के निर्देश होते हुए भी नियमन / आवंटन किया गया हैं जो कानूनन गलत होने से निरस्तनीय है। ऐसी भूमि पुनः उसी रूप में राजकीय भूमि घोषित करने के लिये प्रकरण माननीय राजस्व मंडल अजमेर को पुनः भिजवाया जावे।

(4) वकील अप्रार्थीगण ने राजकीय वकील की बहस का विरोध करते हुए तर्क दिया कि –

(4)(1) तहसीलदार खीवसर ने धारा 82 राज.भू.राज.अधिनियम के तहत वर्तमान प्रकरण के अप्रार्थीगण सहित अन्य व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही सरासर मिथ्या आधारों पर विधि विरूद्व करते हुए करीब 17 रेफरेन्स आवेदन पेश किये है। तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही व प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। अल्बता यह सही है कि प्रश्नगत भूमि गै. मु. मगरा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। मगर उक्त गै.मु. मगरा भूमि पर अप्रार्थीगण सहित गांवा के अन्य लोगो का उनके पूर्वजों के समय का सेटलमेंट से पूर्व से ही कब्जा काश्त निरंतर बिना किसी रोक–टोक के शांतिपूर्वक रहता चला आया है, ये लोग अपनी–अपनी कब्जासुद भूमियों पर काश्त करसण कर अपने परिवार का जीवन यापन करते आये है, ग्रामीण परिवेश के गरीब किसान वर्ग के लोग है। चूंकि शुरू से ही यह भूमि काबिल काश्त भूमि रही है। अन्य किसी उपयोग उपभोग की भूमि नही रही है। न ही आज दिन है। इस प्रकार तहसीलदार का उक्त आवेदन सर्वथा मिथ्या आधारों पर मौके की स्थिति के विपरीत व विधि विरूद्व पेश किया होने से विधि सम्मत नही है व स्वीकार किये जाने योग्य नही होने से अपास्त किया जावे।

(4)(2) जहां तक राजस्व रेकर्ड का प्रश्न है, खतौनी संवत 2058–61 गांव लालावास में प्रश्नगत भूमि गै.मु. मगरा दर्ज है तथा इस खसरे की भूमि को अप्रार्थीगण सहित दीगर काश्तकारों को खातेदारी प्रदान की गई है। क्योकि उक्त खसरो की भूमि शुरू से ही काबिल काश्त भूमि रही है, काश्तकारों का शुरू से ही कब्जा काश्त रहा है, यह भूमि सरकारी व सार्वजनिक उपयोग एवं अन्य उपयोग की भूमि नही रही है। प्रशासन गांवों के संग अभियान–2002 केम्प लालावास में किये गये कथित आदेश को विधिवत रूप से आवंटन कमेटी का गठन कर अप्रार्थीगण सहित संबंधित काश्तकारों के पक्ष में विधिनुसार आवंटन किया गया था, तत्पश्चात विधिक के प्रावधानों के अनुसार गैर खातेदारी दर्ज करते हुए नामान्तरकरण भर कर खातेदारी प्रश्नगत आराजी के रकबा विशेष की

अपर कलक्टर, नागौर

आवंटन व नियमन कर गैर खातेदार के रूप में दर्ज की गई है, इस प्रकार विधिनुसार अप्रार्थीगण सहित संबंधित काश्तकार सहअधिकार काबिज है व काश्त करसण कर रहे है। भूमि काबिल काश्त है। अन्य किसी प्रयोजनार्थ काम नही आ रही है। इन परिस्थितियों में भी अब इस तरह का आवेदन तहसीलदार द्वारा पेश करना किसी भी सूरत में विधि सम्मत नही है, खारिज किये जाने योग्य है।

(4)(3) प्रशासन गांवों के संग अभियान–2010 में तहसीलदार खींवसर के आदेश की पालना में ही संबंधित नामान्तरकरण राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर गैर खातेदारी से ख़ातेदारी प्रदान की गई है। जिससे भी यह साबित है कि अप्रार्थीगण सहित संबंधित काश्तकारों का आवंटन से पूर्व व पश्चात उक्त भूमि पर कब्जा काश्त रहता चला आया है। उक्त भूमि पर अन्य किसी प्रकार का कोई उपयोग, उपभोग, रहवास, आवास व कानूनी प्रावधानों अनुसार किसी प्रकार की अडचन व बाधा नही होने से उक्त खसरे की भूमि केवल मात्र काबिल काश्त भूमि रही है। गांव लालावास की खतौनी संवत 2070 से 2073 में भी प्रश्नगत आराजी किस्म काबिल काश्त रही है। जिस पर अप्रार्थीगण सहित संबंधित काश्तकारों का कदीम से लगातार कब्जा काश्त रहता चला आया है तथा आंवटन विधिक प्रक्रिया के तहत बाद जांच किया गया था। जो विधिसम्मत था व है जिसको अब इतनी लंबी अवधि पश्चात ऐसे आवेदन के जरिये चुनौती देने का तहसीलदार को कोई अधिकार नही है। अप्रार्थीगण सहित संबंधित काश्तकारों के विरूद्व आवेदन पेश कर उनको अनावश्यक तंग परेशान किया गया है।

(4)(4) राज. सरकार राजस्व(ग्रुप–6) विभाग परिशिष्ट–24 जिला कलक्टर, जोधपुर, बीकानेर, चुरू, जैसलमेर, बाडमेर, जालोर, नागौर, पाली एवं संभागीय आयुक्त जोधपुर, बीकानेर, अजमेर परिपत्र क्रमांक प.6(6) राज.–6/97/7 जयपुर दिनांक 27.8.01 को एक परिपत्र जारी कर मरूस्थलीय जिलो में आवंटन एवं नियमन पर लगे प्रतिबंध में शिथिलता के संबंध में राज्य सरकार के क्रमांक प.6(9)राज–6/76 दिनांक 21.4.76 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त आठ मरूस्थलीय जिलों में स्थित राजकीय सिवाय चक भूमि गै.मु. भूमि, चारागाह भूमि के कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन व नियमन करने के संबंध में कार्यवाही करने के निर्देश जिला कलक्टर को दिये गये।

प्रकरण हाजा के प्रश्नगत खसरा की भूमि केन्द्रीय मरू क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी) जोधपुर के मृदा सर्वेक्षण मेन्युअल से मुक्त करते हुए उपरोक्त किस्म की भूमियो की श्रेणियां जो आठ है। जिसमें से श्रेणी सं. 1, 2, 3 व 4 यानि की सिवाय चक भूमि, गै.मु. भूमि, चारागाह भूमि को काजरी मेन्युअल से मुक्त कर काबिज काश्तकार व्यक्तियों को कलक्टर की देखरेख में तहसीलदार को आवंटन व नियमन करने का परिपत्र जारी किया गया। इसलिये उक्त आंवटन में काजरी मेन्युअल की कोई बाधा नही है। इसलिये उक्त आवंटन व नियमन वैध व विधि सम्मत होने से प्रार्थी तहसीलदार का उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र कानूनन पोषणीय नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

(4)(5) राज. सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग क्रमांक पी. 7(10)राज–6/2002 जयपुर दिनांक 23.5.02 के संबंध में भी मरूस्थलीय जिले जोधपुर, बाडमेर, नागौर, जालोर, बीकानेर, पाली को शासन सचिव द्वारा परिपत्र जारी कर उक्त जिलों में काजरी मेन्युअल की कोई बाध्यता नही होने व काजरी मेन्युअल की बाध्यता से मुक्त करते हुए काबिज काश्तकारों को गै.मु. मगरा भूमि आवंटन करने हेतु दिशा–निर्देश प्रदान किया।

(4)(6) हस्तगत प्रकरण में किये गये आवंटन में किसी भी प्रकार के कानूनी प्रावधानों का उल्लघंन नही किया गया है। क्योंकि उक्त आवंटनसुदा भूमि राजकीय परिपत्रों से काजरी मेन्युअल

अपर कलक्टर, नागौर

से मुक्त कर समय–समय पर उक्त भूमि कब्जासुदा व्यक्तियों को आवंटन करने के परिपत्र जारी किये गये उक्त परिपत्रो के नियमों व दिशा–निर्देशो अनुसार ही जिला कलक्टर द्वारा कमेटी गठित कर मौका मुआयना कर वाजिब काबिज काश्तकार को आंवटन किया गया है। जिसमें नियमन कमेटी में तहसीलदार संयोजक, विधायक, प्रधान व संबंधित सरपंच सदस्य है तथा संपूर्ण नियमन की कार्यवाही नियमानुसार कर आवंटन व नियमन किया गया है। ऐसी स्थिति में अब उक्त आवंटन खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि को कानूनी प्रावधानो के तहत निरस्त नही किया जा सकता है।

(4)(7) उक्त आवंटन कमेटी में तहसीलदार स्वयं संयोजक व कमेटी प्रधान है तथा नियुक्त कमेटी द्वारा उतरदाता के पक्ष में नियमन किया गया है तथा अब प्रार्थी तहसीलदार स्वयं है तथा कानूनी प्रावधानों के तहत स्वयं की अध्यक्षता में किया गया नियमन स्वयं प्रार्थी तहसीलदार पक्षकार बनकर आवेदन पेश करने का कोई अधिकार तहसीलदार को नही रहा है न ही तहसीलदार स्वयं ऐसा आवेदन कर सकता है। ऐसी स्थिति में ऐसा प्रार्थना पत्र कानूनन संधार्य भी नही है। जिससे इस आधार पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

(4)(8) उक्त आवंटन दिनांक 13.6.02 को आवंटन कमेटी लालावास के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान–2002 में किया गया। जिसका नामान्तरकरण तहसीलदार द्वारा सन 2002 में गैर खातेदारी दर्ज की व उसके पश्चात अप्रार्थीगण सहित संबंधित काश्तकारों का मौके पर लगातार कब्जा काश्त होने से प्रशासन गांवों के संग अभियान मे उपरोक्त नामान्तरकरण के जरिये गैर खातेदारी से खातेदार दर्ज किया गया। इस प्रकार दिनांक 13.6.02 से आज दिन तक अप्रार्थीगण सहित संबंधित काश्तकारों का संबंधित भूमि के अलग अलग रकबों पर कब्जा काश्त निरंतर निर्बाध रूप से अधिकारस्वरूप रहता आया है, आवंटन व नियमन हुए इस आवेदन के पेश होने तक 16 वर्ष हो चुके है। प्रार्थी तहसीलदार द्वारा इतनी लंबी अविधि पश्चता ऐसा आवेदन पेश किया जाना स्पष्ट रूप से मियाद बाहर होने से इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। मियाद बाबत प्रार्थी तहसीलदार ने कोई आवेदन भी पृथक से पेश नही किया है। प्रार्थी तहसीलदार को इस आवंटन/नियमन व मौके पर भूमि काबिल काश्त होने आदि की पूरी जानकारी भी रही है। इसके बावजूद मियाद बाहर आवेदन आधे अधूरे तथ्यों पर पेश किया गया है। जो कानूनन खारिज किये जाने योग्य है।

(4)(9) प्रार्थी द्वारा हस्तगत आवेदन धारा 82 एलआर एक्ट के तहत पेश किया है। जो विधिनुसार चलने योग्य नही है क्योंकि इसमे धारा 232 व धारा 9 की पालना नही की गई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना विधि सम्मत व विधिनुसार अपेक्षित है। एक बार किसी भी व्यक्ति को आवंटन व नियमन करने के पश्चात उसे गैर खातेदार घोषित किया जाता है व नियमानुसार उसका कब्जा काश्त होने से उसे गैर खातेदारी से खातेदारी प्रदान की जाती है। राज. भू राजस्व अधि. एवं कृषि भूमि का आवंटन व कृषि प्रयोजनार्थ नियमन के तहत अगर एक बार खातेदारी अधिकार किसी व्यक्ति को मिल जाते है तो धारा 82 एलआर एक्ट के तहत उसे खारिज नही करवाया जा सकता है क्योकि उसके लिये कानूनी प्रावधानों के तहत वाद दायर करना पड़ता है और उस वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार केवल मात्र संबंधित सहायक कलक्टर (एसडीओ) को होता है। इसलिये इस बिन्दु के आधार पर भी वर्तमान रेफरेन्स आवेदन विधिसम्मत नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

(4)(10) अप्रार्थीगण सहित संबंधित काश्तकारों के विरूद्व तहसीलदार ने जो हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश किया है वह केवल मात्र प्रशासनिक आदेश जिला कलक्टर नागौर द्वारा रेफरेन्स पेश करने का हवाला देकर आवेदन पेश किया है। जबकि राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्रों को ध्यान में नही रखा गया है। ऐसी स्थिति में जो आदेश जिला कलक्टर नागौर द्वारा रेफरेन्स हेतु दिया गया

अपर कलक्टर, नागौर

है। वह आदेश राज. राजस्व ग्रुप के परिपत्र दिनांक 27.8.01 के अनुसार गैर कानूनी है। ऐसा करने का जिला कलक्टर नागौर, एसडीओ खीवंसर व तहसीलदार खीवसर को कोई विधिक अधिकार नही है। उक्त परिपत्रों को ध्यान में नही रखा गया है। उक्त परिपत्रों के अनुसार हस्तगत भूमि काजरी मेन्युअल के अधीन नही आकर उससे मुक्त की गई है। जिससे भी आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

(4)(11) प्रार्थी तहसीलदार द्वारा जो रेफरेन्स आवेदन पेश किया गया है। वह विधिनुसार प्रार्थना पत्र की श्रेणी में नही आता है। केवल मात्र एक साइक्लों स्टाइल परफोरमा आवेदन पेश किया गया है। जो आवेदन की श्रेणी में नही आता है। न तो इसका प्रमाणीकरण किया गया है। न ही अंत में कोई अनुतोष ही चाहा गया हैं। न ही ऐसे कोई कानूनी प्रावधान बताये है। न ही ऐसे प्रार्थना पत्र के समर्थन में तहसीलदार ने अपना शपथ पत्र ही पेश किया है। इसलिये भी यह प्रार्थना पत्र/रेफरेन्स आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

(4)(12) रेफरेन्स में विशेष आपत्ति काजरी मेन्युअल को ध्यान में नही रखे जाने का हवाला दिया गया है। जबकि हस्तगत प्रकरण में राजस्व ग्रुप 6 विभाग राज. सरकार द्वारा दिनांक 27.8.01 को क्रमांक प6(6)राज.6/97/7 के द्वारा राज. भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 20 में कृषि भूमि पर राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 से संबंधित प्रावधान में संशोधन करते हुए जिला जोधपुर, बीकानेर, चुरू, जैसलमेर, बाडमेर, जालोर, नागौर, पाली में आने वाली भूमियां सिवाय चक भूमि, गै.मु. भूमि, चारागाह भूमि को आवंटन योग्य माना है। इसलिये उक्त एतराज रेफरेन्सकर्ता तहसीलदार का चलने योग्य नही है।

(4)(13) इस संबंध में समय समय पर माननीय राजस्व मंडल अजमेर माननीय उच्च न्यायालय व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत पारित किये है। जिनकी रोशनी में तहसीलदार का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हो जाता है। इस संबध में अपने कथन के समर्थन में निम्न नजीरे प्रस्तुत की है–

1–आरआरटी 2011–12 सप्लीमेन्ट्री पेज 690 में पारित निर्णय अनुसार रेफरेन्स के जरिये खातेदारी निरस्त नही की जा सकती है तथा 9 वर्ष विलंब के बाद भी माननीय राज. उच्च न्यायालय ने रेफरेन्स को मियाद बाहर मानकर खारिज किया है।

2–आरआरटी 2013(1) पेज 468 में पारित निर्णय के अनुसार रेफरेन्स के जरिये भूमि वापस नही ली जा सकती है तथा अधिनियम की धारा 54 में संशोधन के द्वारा ही वापस ली जा सकती है।

3–आरआरटी 2017(1) पेज 314 इसमें भी 11 वर्ष बाद प्रस्तुत रेफरेन्स को मियाद बाहर माना है।

4–आरआरटी 2017(1) पेज 182 में यह माना है कि नामान्तरकरण को रेफरेन्स के जरिये निरस्त नही किया जा सकता है।

5–आरआरटी 2017(1) पेज 73 में यह माना है कि गैर खातेदारी अधिकार प्रदान करने के आदेश हेतु रेफरेन्स पेश नही किया जा सकता है, 18 वर्ष के बाद रेफरेन्स को मियाद बाहर माना है।

(5) राजकीय अधिवक्ता द्वारा वकील अप्रार्थीगण की बहस का जवाब देते हुए बताया गया कि रेफरेन्स के मामले में मियाद निर्धारित नही है तथा आवंटन/नियमन विधि विरूद्व होने से ऐसे आदेश को कभी भी चेलेन्ज कर निरस्त करवाया जा सकता है।

(6) उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रशासन गांवों के संग अभियान 2002 के दौरान

अपर कलक्टर, नागौर

केम्प लालावास दिनांक 13.6.02 को अप्रार्थीगण के पक्ष में ग्राम लालावास के खसरा नं. 225 में से 3 बीघा भूमि आवंटन/नियमन की गई। जिसकी खातेदारी नामान्तरकरण सं. 505 स्वीकृति दिनांक 11.11.02 के नये खसरे नं. 225/925 रकबा 3 बीघा कायम कर गैर खातेदारी दी गई है। तत्पश्चात नामान्तरकरण सं. 753 स्वीकृति दिनांक 18.12.10 के खातेदारी अधिकार दिये गये है। प्रश्नगत भूमि की किस्म गै.मु. मगरा होना मिसल बन्दोबस्त संवत 2020 व खतौनी संवत 2058–61 से स्पष्ट है। जिसकी पुष्टि खतौनी (जमाबंदी) संवत 2058–61 से रेकर्ड से होना स्पष्ट है। राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 27.8.01 के अनुसार चारागाह, वन, अंगौर, तालाब, जोहड, पायतन, पहाड, मगरा, भाकर आदि किस्म की भूमियों को सामान्यतः नियमितकरण नही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। जबकि आराजी किस्म की भूमि गै.मु. मगरा है। जो नियमितकरण योग्य नही होते हुए भी सार्वजनिक उपयोग की भूमि का आवंटन/नियमन किया गया है। जो विधि विरूद्व है।

राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(6) राज–6/97/7 दिनांक 27.8.01 के द्वारा राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय रूक्ष क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी) जोधपुर के मृदा संरक्षण मेन्युअल (Soil Survey Manual) के अनुसार भूमि की 8 श्रेणियां मृदा वर्गीकरण किया गया है। जिनमें से श्रेणी सं. 1 से 4 तक की भूमियों का आवंटन एवं नियमन किये जाने के लिये जिला कलक्टर की देखरेख में चिन्हीकरण के पश्चात जिला स्तरीय आवंटन अनुमोदन समिति के अनुमोदन पश्चात ही आंवटन किये जाने के प्रावधान रहे है। तत्समय काजरी द्वारा भूमियों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया पूर्ण नही होने की स्थिति में राजस्व (ग्रुप–6) द्वारा दिनांक 28.5.02 को एक परिपत्र जारी कर निर्देश प्रदान किये गये कि जहां पर प्रतिबंधित 5 से 8 श्रेणी की भूमि उपलब्ध है या ऐसे गांव जहां श्रेणियों की पहचान खसरा नंबर के अनुसार संभव नही है तथा कई स्थानों पर काजरी ने श्रेणियां निर्धारित नही की है। ऐसे क्षेत्रों में आवंटन योग्य भूमि चिन्हित करने के लिये तहसील स्तरीय भू चिन्हित समिति का गठन किया गया था तथा समिति की रिपोर्ट का जिला स्तरीय आवंटन अनुमोदन समिति में प्रस्तावों पर विचार के पश्चात राज्य सरकार के अनुमोदन उपरांत ही प्रशासन गांवों के संग अभियान 2002 के तहत आवंटन नियमन की कार्यवाही की जा सकती थी। मगर उक्त आवंटन/नियमन से पूर्व उक्त भूमि की श्रेणी यथा 1 से 8 में से किस श्रेणी में आती है, का निर्धारण काजरी से नही करवाया है तथा न ही तहसील स्तरीय भूमि चिन्हीकरण समिति द्वारा प्रकरण जिला स्तरीय एलोटमेन्ट कमेटी को प्रस्तुत किये गये है। इस प्रकार आवंटन/नियमन से पूर्व काजरी मेन्युअल/भूमि चिन्हीकरण से संबंधित कार्यवाही किये बिना ही आवंटन/नियमन किया गया है। जो विधि विरूद्व है। जिसके अभाव में आवंटन/नियमन की कार्यवाही नही की जानी चाहिये थी।

(7) उक्त विवेचनानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौजा लालावास के खसरा नंबर 225 गैर मुमकिन मगरा में से वर्तमान खसरा नंबर 225/925 किस्म गै0मु0 मगरा रकबा 3 बीघा भूमि का प्रभारी अधिकारी पंचायत समिति मुण्डवा प्रशासन गांवों के संग उपखण्ड अधिकारी, लाडनूं द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2002 में केम्प लालावास पर जारी आवंटन आदेश दिनांक 13.6.2002 के द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में किया गया आंवटन/नियमन व इसके आधार पर भरे गये ग्राम लालावास के नामान्तरकरण सं. 505 दिनांक 11.11.02 व नामान्तरकरण सं. 753 स्वीकृति दिनांक 18.12.2010 निरस्त करवाने हेतु मूल प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाये जाने का आदेश दिया जाता है।

(8) आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर